	(10)	(11)
Ву	Direct Recruitment.	Not applicable
	(12)	(13)
	Departmental Promotion Committee (for considering promotion):—	Not applicable.
1.	Head of the concerned Establishment or Laboratory	—Chairman
2.	Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory	—Member
3.	An officer from another Laboratory/Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the member of the concerned Laboratory/Establishment	—Member

[F. No. DHRD/87661/RRs/Security Cadre/C/P/01]

SANGEETA RAO, Under Secy.

Note: The principal rules was published vide numer S.R.O. 15(E) dated the 29the May 1998.

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2012

का.नि.आ. 97.—राष्ट्रपति, के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (प्रशासन और भंडार पद) भर्ती नियम, 1993, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासन) पद भर्ती नियम, 1998, को जहाँ तक उसका संबंध प्रशासिनक अधीक्षक, प्रशासिनक सहायक 'सी', प्रशासिनक सहायक 'बी', और प्रशासिनक सहायक 'ए' के पदों से है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, प्रशासिनक अधिकारी पद भर्ती नियम, 1999 का उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में प्रशासिनक पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम औ**र प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, प्रशासनिक समूह 'क' और समृह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना--ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिदिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. **पदों का नाम, संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की, संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वेतनमान वे होगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, और अन्य अर्हता.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

आर अन्य विश	ष प्रवर्ग के व्यक्ति	या कालए उपबंध		। सूची	
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I	39* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	ਕੇਜਜ ਕੈਂड-3, 15600—39100 + ਸ਼ੇਫ ਕੇਜਜ 6600 ਨ.	चयन) रु.	40 वर्ष से अनिधक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जार्र किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकार सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की ज सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थिये के लिए विहित की गई है।)
	, जाने वाले व्यक्तिय ह और अन्य अर्हता		के अ	धे भर्ती किए जाने लिए विहित आयु हैताएं प्रोन्नत व्यक्ति लागू होंगी या नहीं	
-	(7)			(8)	(9)
(ii) किसी सर वाणिज्यिक संग टिप्पण 1 : कारणों के लिए विवेकानुसार शि टिप्पण 2 : उ जो लेखबद्ध की अनुसूचित जाति में तब शिथिल	(i) किसी मान्यताप्र कारी या अर्ध सरक ठन में छ वर्ष का प्र अर्हताएं, अन्यथा स् ए जो लेखबद्ध किए विश्व की जा सकत केए जाएं, संघ ल वों और अनुसूचित की जा सकती हैं	ारी संगठन या किस् शासिनिक अनुभव गुर्आर्हत अध्यर्थियों र जाएं, संघ लोक हो है । हा (अर्हताएं), उन होक सेवा आयोग जन-जातियों के अ जब चयन के किस्	नी प्रतिष्ठित की दशा में उन सेवा आयोग के कारणों के लिए, के विवेकानुसार भ्यर्थियों की दशा नि प्रक्रम पर संघ	लागू नहीं होता	8 8

वांछनीय (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कार्मिक प्रबंध में डिप्लोमा

के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों

(ii) वैज्ञानिक या औद्योगिक या तकनीकी संगठन या विभागों में कार्य करने का अनुभव भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

33.34 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा और 33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (11)

प्रोन्निति: वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.+ग्रेड वेतन 5400 रु. के वेतनमान में ऐसा प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II जिसने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।

टिप्पण 1.-जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए, अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी;

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. के या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित-शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)। (प्रतिनियुक्ति की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है), नियमित

(11)आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड वेतन है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना आयोग से परामर्श किया जाएगा (13)(12)समृह 'क' विभागीय प्रोन्तित समिति (प्रोन्तित या पृष्टि पर विचार करने के लिए) सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा 1. मुख्य नियंत्रक (अनुसंधान और विकास) रक्षा अनुसंधान और ---अध्यक्ष आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। और विकास संगठन 2. निदेशक या उपसचिव (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय या --सदस्य निदेशक या उप वित्त सलाहकार, या एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय 3. निदेशक कार्मिक निदेशालय, या निदेशक, मानव संसाधन विकास ---सदस्य निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (4) (6)(1) (2) (3) (5) 35 वर्ष से अनिधक (केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड-3. 97* (2012) 2. ज्येष्ठ चयन जारी किये गए अनुदेशों या आदेशो के अनुसारं *कार्यभार के प्रशासनिक सेवा समृह 'क', 15600-39100 ₹. अधिकारी राजपत्रित, + ग्रेड वेतन सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल आधार पर की जा सकती है) श्रेणी-11 परिवर्तन किया अनुसचिवीय 5400 专. जा सकता है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लदुदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) (9) (7)(8) आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री: लागू नहीं होता एक वर्ष (ii) प्रशासन, स्थापन और लेखा कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

(7)

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जान-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

वांछनीय :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कार्मिक प्रबंध या औद्योगिक संबंधी कार्य का डिप्लोमा;
- वैज्ञानिक या औद्योगिक या तकनीकी संगठन/विभागों में कार्य करने का अनुभव ।

(10)

(11)

65 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा, 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्कालिक संविदा भी है) के द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और 10 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति : वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. +ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतनमान में ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जिसने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो।

टिप्पण 1:-जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए, अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति: (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या अर्धसरकारी या स्वशासी संगठन या तकनीकी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन -4800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित-शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)। प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनिय्क्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आय-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (जिसके छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड हैं । वेतन आयोग की सिफारिशों पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

करना आवश्यक है ।

(12)

(13)प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

समह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

- संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य
- मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
- निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
- निदेशक, या उपसचिव (रक्षा अनुसंधान और विकास) रक्षा मंत्रालय या निदेशक या उप वित्त सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय

अध्यक्ष

-सदस्य

-सदस्य

---सदस्य

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 10, 2012/KARTIKA 19, 1934 [PART II—SEC. 4] 558 (12)II समृह 'क' विभागीय प्रोन्तित समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास —अध्यक्ष निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन —सदस्य विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन निदेशक या उपसचिव (रक्षा अनुसंधान और विकास) या ---सदस्य एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय (2) (3) (4)(5) (6)(1)साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड-2. लाग् नहीं होता 297* (2012) 3. प्रशासनिक चयन अधिकारी *कार्यभार के सेवा, समूह 'ख', 9300-34800 रु. राजपत्रित, + ग्रेड वेतन आधार पर परिवर्तन किया अनुसचिवीय 4600 동. जा सकता है। (7)(8) (9) लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता (10)(11)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नित : वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में ऐसा ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक जिसने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।

टिप्पण 1 : इस नियम की अधिसूचना की तारीख को ज्येष्ट प्रशासनिक सहायक के पद धारण करने वाले विदयमान पदधारी की प्रोन्नति पर विचार करने के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष होगी।

टिप्पण 2 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3 : प्रोन्नित के लिए न्युनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समुतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ।
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं :-
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री
- (ii) जिनके पास कार्मिक प्रबंध या साधारण प्रशासन में तीन वर्ष का अनुभव है। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नाति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सिंहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है,

वेतन आयोग की सिफारिशों पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार

करने के लिए)

1. मुख्य नियंत्रक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय, या निदेशक, मानव संसाधन
विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

3. अवर सचिव, (रक्षा अनुसंधान एवं विकास), रक्षा मंत्रालय या
सहायक वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान एवं विकास), रक्षा मंत्रालय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक	*कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता
				2	
	(7)		-	(8)	(9)
	लागू नहीं होता		2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007	लागू नहीं होता	दो वर्ष
	(10)			(11)

80 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा : 20 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा

टिप्पण: परन्तु यदि संबंधित विभागीय प्रोन्नति-2 समूह में ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक की श्रेणी में एक वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या आठ से कम है, तो उस वर्ष इस समूह के लिए कोई सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी

प्रोन्नित :वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. +ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान में ऐसा ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक 'ख' जिस ने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : इस नियम की अधिसूचना की तारीख को प्रशासनिक सहायक 'ख' के पद धारण करने वाले विद्यमान पदधारी की प्रोन्नति पर विचार करने के लिए पात्रता सेवा पांच वर्ष होगी।

टिप्पण 2 : जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए, अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले उस तारीख से वह जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा : सीमित प्रतियोगी परीक्षा वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. + या ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान में ऐसे प्रशासनिक सहायक ख तक सीमित है जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में न्यूनतम 10 वर्ष नियमित सेवा पूरी कर ली है।

(12)		(13)
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
 संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-2 समूह में भाग लेने वाले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की 	—अध्यक्ष	
प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में से एक निदेशक/प्रधान		
 संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-2 समूह में भाग लेने वाले प्रयोगशालाओं/स्थापनों से ज्येष्ठ प्रशासिनक अधिकारी श्रेणी-2 या जयेष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-2 	—सदस्य	
 ऐसा ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-1 या वैज्ञानिक ग जिसका संबंध संबंधित विभागीय प्रोत्रित समिति-2 समूह की किसी संघटक स्थापना/प्रयोगशाला से न हो 	—सदस्य	

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआर/प्रशासन काडर/सी/पी/02]

संगीता राव, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd October, 2012

- S.R.O. 97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Defence Research and Development Organisation (Administrative and Stores posts) Recruitment Rules, 1993, Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence Group, 'C' (Administration) posts Recruitment Rules, 1998 in so far they relates to the post of Administrative Superintendent, Administrative Assistant 'C', Administrative Assistant 'B' and Administrative Assistant 'A', Defence Research and Development Organisation and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence, Administrative Officer post Recruitment Rules, 1999 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Administrative posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Administrative Group 'A' and 'B' posts Recruitment Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Name of the posts, Number, Classification and pay band and grade pay/pay scale.—The name of the posts, number, their classification and the pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed herewith.
- 4. Method of recruitment, age limit, and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the schedule aforesaid.
 - 5. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

- 6. Power to relax.—Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

institution.

organisation or Departments.

(ii) Working experience in Scientific or Industrial or Technical

Name of	Mumbass	Classification	Doy band 1	Whathan	Aga limit for direct recovits
post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay/ pay scale	selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Administrative Officer Grade-I	39* (2012) *(Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 plus grade pay of Rs. 6600	Selection	Not exceeding forty years (Relaxation for Governmen servants up to five years in accordance with the instructions of orders issued by Central Government). Note: The crucial date for determining the age limits shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spit district and Pangi sub-division of Chamba district of Himacha Pradesh, Andaman and Nicoba Island or Lakshadweep).
Educational and for direct recrui	d other qualifica ts	tions required	qualific direct re	er age and educa eation prescribe ecruits will apply promotees	d for
(7)				(8)	(9)
Essential:	cognised univers	sity.	No	ot applicable	One year for direct recruit

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption. grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

per cent by direct recruitment.

Thirty three point three four per cent by promotion failing which by deputation and Thirty three point three three per cent by deputation and Thirty three point three three

Promotion: Senior Administrative Officer Grade-II in the scale of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department.

(11)

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission

Deputation:

Officers under the Central or State Governments or Union Territory:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 in the parent cadre or department; and
- (b) possessing following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7;

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 1: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six (the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has

been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering

promotion or confirmation):-—Chairman 1. Chief Controller (Research and Development), Defence Research and Development Organisation

- 2. Director or Deputy Secretary (Research and Development), —Member Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Adviser, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence
- 3. Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate —Member of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation.

(13)Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and apointing an Officer on deputation

applications from candidat India (and not the closing prescribed for those in As Meghalaya, Arunachal Pra Mizoram, Manipur, Naga Tripura, Sikkim, Ladakh, Divis Jammu and Kashmir State, I and Spiti district and Pang division of Chamba distri Himachal Pradesh, Andama

(9) One year (7) Not applicable Essential:

(i) Degree of recognised university.

⁽ii) Three years experience of administration, establishment and accounts work.

(12)

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

- (i) Diploma in personnel management or Industrial relation from a recognised institution.
- (ii) Working experience in Scientific or Industrial or Technical organisation or Departments.

(11)(10)

(including short-term contract), Twenty five per cent by deputation (including short-term contract) failing which by direct recuitment and Ten per cent by direct recruitment. thereto on regular basis in the parent Cadre or Department.

Sixty five per cent by promotion failing which by deputation Promotion: Administrative Officer in the scale of Pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 in PB-2 with three years' service in the grade rendered after appointment

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

$Deputation \, (Including \, Short \, Term \, Contract):$

Officers under the Central or State Government or Union Territory or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government or Autonomous Organizations or Technical Organisation.

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; Or
- (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay of scale of

Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in PB-2 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruitment under column 7.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The (including short-term contract) maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications].

Note 1: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or (the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

		(13)
(12) Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering	g	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion
: (anatomore	—Chairman	Commission necessary on each
Chairman or Member of Union Public Service Commission.	Mambay	
Chief Controller, Research and Development, Defence	—Member	
3. Director Directorate of Personner of Director, Brockers of Human Research Development, Defence Research and	—Member	
Development Organisation 4. Director or Deputy Secretary (Research and Development), All the organisation or Director or Deputy Finance Adviser	—Member	
Integrated Finance (Research and Development), without		
II. Group 'A' Departmental Promotion Committee		
(for considering confirmation), 1. Chief Controller, Research and Development. 2. Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate	—Chairman —Member	
of Human Resource Development, Defence Research	_Member	
 Deputy Secretary or Director from Department of Defence Research and Development or Integrated Finance (Research and Development Ministry of Defence. 		

[#141 II—@ 4]					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Administrative Officer	27 - 17	Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300— 34800 plus grade pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable
(T)				(8)	(9)
Not appli	cable		Not ap	plicable	Not applicable
(10)					(11)
			D	ation & Caniar	· A dministrative Assistant in the scale

By Promotion failing which by deputation,

Promotion: Senior Administrative Assistant in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 in PB-2 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department.

Note I: The eligibility service for consideration for promotion for the existing incumbent holding the post of Administrative Superintendent on the date of notification of this rule shall be three years.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

Deputation: Officers under the Central Government:—

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs.4200 in PB-2 or equivalent in the parent Cadre or department; and
- (b) possessing following educational qualification and experience:—
- (i) degree of a recognised University.
- (ii) possessing three years' experience in Personnel Management or General Administration.
- (The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration

(9)

Two years

Administrative

(7)

Not applicable

Assistant

*(Subject to

variation

dependent

on workload.)

(11)

for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note: For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or (the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

		(12)				(13)
(fo	r considering	g promotion). oller, Defence Resea	romotion Committee	—Chairman	Consultation w Commission not	vith Union Public Servic necessary.
2.	of Human	rectorate of personne Resource Developm pment Organisation				
3.	D. Conservation and Development) —Member					3
			39.50			
-	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Senior	584* (2012)	General Central	Pay Band-2,	Selection	Not applicable

Service, Group 'B', Rs.9300-

Gazetted,

Ministerial

34800 plus

grade pay

of Rs. 4200

(8)

Not applicable

(10)

- (i) Eighty percent by promotion.
- (ii) Twenty percent by promotion through Limited Departmental Competitive Examination.

Note: Provided that if the total number of vacancies to be filled in a year in the grade of Senior Adminstrative Assistant in the respective Departmental Promotion II Group is less than eight, no Limited Departmental competition examination shall be held for the Group in that year.

(11)

Promotion: Administrative Assistant 'B' in the scale of Pay of Rs. 5200-20200 plus Grade pay of Rs. 2400 in PB-1 with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

Note 1: The eligibility service for consideration for promotion for the existing incumbent holding the post of Administrative Assistant 'B' on the date of notification of this rule shall be five years.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January, two thousand six or date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission.

Limited Departmental Competitive Examination: Departmental Competitive Examination for promotion is limited to Administrative Assistant 'B' in the pay of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400 in PB-1 who have completed minimum ten years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

(12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):— 1. Director/Head of one of Defence Research and Development Organisation Laboratories/ Establishments participating in respective decentralised Departmental Promotion	—Chairman	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
Committee-II Group 2. Senior Administrative Officer Grade II/Senior Store Officer Grade II from the participating Laboratories/Establishments in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group. 3. Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent	—Member —Member	
Establishment/Laboratory of the respective Departmental Promotion Committee-II Group.		[F. No. DHRD/16342/RRs/Admin Cadres/C/F

[F. No. DHRD/16342/RRs/Admin Cadres/C/P/02]

SANGEETA RAO, Under Secy.